कपानर अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

217/2020125 हरीसिंह vs श्रीमती गंगा व अन्य

तारीख पेशी	20/2017 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री [illegible] श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
23-11-2020	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई । अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.11.2020 को सुना गया । हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटस ने हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 29.9.2020 के विरूद्ध पेश की है । अधी0न्याया0 ने अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में अंकित किया है कि "अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 21/2013 अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 25.3.2014 को किया जा चुका है जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 145/2017 उनवान हरीसिंह बनाम श्रीमती गंगा व अन्य प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 9.10.2018 द्वारा विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा मौके बाबत् उभयपक्षकारान को पाबंद किया है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । जब न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दोनों पक्षों को पाबंद किया जा चुका है तो अब पुनः न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।" अधी0न्याया0 के अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 25.3.2014 को किया जा चुका है जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 145/2017 उनवान हरीसिंह बनाम श्रीमती गंगा व अन्य प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 9.10.2018 द्वारा विवादित आंराजी की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा मौके बाबत् उभयपक्षकारान को पाबंद किया है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । जब न्यायालय हाजा द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा वर्तमान में प्रभावी है तो अधी0न्याया0 के समक्ष पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 9.10.2018 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दोनों पक्षों को पाबंद किया जा चुका है तो अब पुनः न्यायालय हाजा के समक्ष भी अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । आदेश आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । 23/11/2020 (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	